संख्या-24/2023/I/285791/2023/001-71-2099-678-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2023

विषय:- के0जी0एम0यू0 में कतिपय भवनों में लगे जनरेटर की समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन एवं अधिष्ठापन कराये जाने संबंधी कार्य हेतु जी0एस0टी0 के अंतर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11619/योजना अनु0/2023, दिनांक 09.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कतिपय भवनों में लगे जनरेटर की समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन एवं अधिष्ठापन कराये जाने संबंधी कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि पर निर्माण निगम लिमि0 द्वारा जमा की गयी वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) एवं भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन के कारण जी0एस0टी0 के अंतर की धनराशि रू0 13,23,924.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-60/2021/I/70273/2021-71-2099/678 /2021, दिनांक 12.06.2021 द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कतिपय भवनों में लगे जनरेटर की समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन एवं अधिष्ठापन कराये जाने संबंधी कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 358.77 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 179.385 लाख एवं शासनादेश संख्या-7/2022/I/133071/2022-71-2099/678/2021, दिनांक 18 जनवरी, 2022 द्वारा परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 179.385 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार परियोजना की समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में कतिपय भवनों में लगे जनरेटर की समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन एवं अधिष्ठापन कराये जाने संबंधी कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 के अंतर की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 13,23,924.00 (रू0 तेरह लाख तेइस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
3. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,23,924 (रुपये तेरह लाख तेईस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-24 /2023/I/285791/2023**/001-71-2099-678-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0मि0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।